भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3007

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2025 को दिया जाना है

नीलाम की गई कोयला खानों से कोयला उत्पादन

3007. श्री लुम्बाराम चौधरीः
श्री राधेश्याम राठियाः
श्री योगेन्द्र चांदोलियाः
श्री छत्रपाल सिंह गंगवारः
श्रीमती हिमाद्री सिंहः
श्री दुलू महतोः
श्री मनोज तिवारीः
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः
श्री गजेन्द्र सिंह पटेलः
सुश्री कंगना रनौतः
श्री जनार्दन मिश्राः
डॉ. राजेश मिश्राः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने नीलाम की गई खानों से कोयला उत्पादन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय ने हालिया नीलाम की गई कोयला खानों में पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संबंधित उपक्रमों को कोयला परिवहन के लिए अलग से सड़कों का निर्माण करने का निदेश दिया गया है क्योंकि सिंगरौली जिले में बड़े पैमाने पर कोयले का उत्पादन किया जा रहा है परन्तु नए आवंटित ब्लॉकों से कोयले की ढुलाई ग्रामीण सड़को के माध्यम से की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप प्रतिदिन दुर्घटनाएं होती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या शहडोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रचालनशील कोयला खानों की नीलामी की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : सरकार द्वारा नीलाम की गई कोयला खानों से कोयले के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। परियोजना प्रस्तावक के साथ निष्पादित कोयला ब्लॉक/खान विकास एवं उत्पादन करार के अनुसार परियोजना प्रस्तावक से यह सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है कि कोयला उत्पादन अनुमोदित खनन योजना में यथा विनिर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाए।

(ख) : कोयला ब्लॉकों के आबंटितियों को कोयला ब्लॉक आबंटितियों के साथ निष्पादित करारों में यथा उल्लिखित कड़े पर्यावरणीय विनियमों तथा संधारणीय खनन पद्धतियों का अनुपालन करना अपेक्षित है। इन करारों में दक्षता मानदंड शामिल हैं जिनमें आबंटितियों को आबंटित कोयला ब्लॉकों में प्रचालन आरंभ करने से पूर्व संबंधित मंत्रालयों/एजेंसियों से सभी अपेक्षित स्वीकृतियां (पर्यावरण स्वीकृति सहित) प्राप्त करना अधिदेशित है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) से पर्यावरण स्वीकृति में पर्यावरण मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एमओईएफएंडसीसी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा निर्धारित सभी निर्धारित शर्तों और आवश्यकताओं को पूरा करना शामिल है।

(ग) : इस संबंध में कोयला मंत्रालय द्वारा ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

(घ) : शहडोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कोयला मंत्रालय द्वारा नीलाम की गई कोयला खानों तथा उनकी वर्तमान प्रचालनात्मक स्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है -

क्र.सं	खान का नाम	आवंटिती का नाम	आवंटन/निधान की तिथि	वर्तमान स्थिति
1	बिचारपुर	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड.	23.03.2015	उत्पादन
2	बिक्रम	बिरला कार्पोरेशन लिमिटेड	10.02.2020	गैर-प्रचालन
3	साहपुर पश्चिम	शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड	03.03.2021	गैर-प्रचालन

4	उर्तन	जेएमएस माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड	03.03.2021	प्रचालनरत
5	उर्तन उत्तर	जेएमएस माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड	03.03.2021	प्रचालनरत
6	पथौरा पूर्व	श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड	14.12.2023	गैर-प्रचालन
7	पथौरा पश्चिम	श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड	14.12.2023	गैर-प्रचालन
8	बेहराबंद नार्थ एक्सटेंशन	ऑरो कोल प्राइवेट लिमिटेड	10.10.2022	गैर-प्रचालन
9	माईकी उत्तर	माईकी साउथ माइनिंग प्रा.	12.12.2022	गैर-प्रचालन
10	अर्जुनी पूर्व	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड.	08.06.2023	गैर-प्रचालन
11	अर्जुनी पश्चिम	गंगा खनिज प्रा. लि.	08.06.2023	गैर-प्रचालन
12	मारवाटोला - VI	जेएसडब्ल्यू सीमेंट लिमिटेड।	08.06.2023	गैर-प्रचालन
13	मारवाटोला - VII	रामा सीमेंट इंडस्ट्रीज प्रा. लि.	08.06.2023	गैर-प्रचालन
14	लमटोला	एसीसी लिमिटेड	01.08.2024	गैर-प्रचालन
15	शहडोल का पश्चिम (दक्षिण)	जेके सीमेंट्स लिमिटेड.	01.08.2024	गैर-प्रचालन
16	मारवाटोला दक्षिण	माइनवेयर एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड	04.02.2025	गैर-प्रचालन

****